FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

प्रेमाराम बगेरा .... बनाम .... श्री भागाराम बगेरा

किस्म मुकदमा .... राज धारा .... नं. 111/2020 .... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/07/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/07/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
15/07/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री प्रेमाराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1, PW-2 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 तहसीलदार बायतु को सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली	[thumb impression] नि. प्रेमाराम [thumb impression] नि. हरभागाराम

[signature]
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:04:34 IST
Reason: SelfAttested

है संलग्न राजस्व रेकर्ड का कन्सोलीडेशन किया गया। बाद कन्सोलीडेशन बाकी का बाद इन्द्राज किया जाकर निर्णय फलजा से लिया गया व शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली मिसल शुमार हो दर्ज नम्बर से खत्म हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:04:34 IST
Reason: SelfAttested

्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 111 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पूराराम पुत्र भीखाराम 2. भैराराम पुत्र भीखाराम 3. मेहराराम पुत्र भीखाराम 4. डाउराम पुत्र भीखाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–लाधानियों की ढाणी, बायतु पनजी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. भीखाराम पुत्र फुसाराम जाति–जाट, निवासी– लाधानियों की ढाणी, बायतु पनजी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर तहसीलदार, बायतु 2. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीगण

2. श्री खेताराम जाखड वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक : 15/07/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा लाधाणियों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 648 रकबा 19.7558 हैक्टेयर व मौजा सालूजी का तला पटवार मण्डल बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 918, 920 रकबा क्रमशः 0.0405, 15.2416 हैक्टेयर तथा मौजा धारासर का तला पटवार मण्डल बायतु भीमजी के खेत खसरा नम्बर 817, 905 / 762, 906 / 762 रकबा क्रमशः 1.2135, 5.9462, 0.6148 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर ... बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:04:34 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण फुसाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा लाधाणियों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 648 रकबा 19.7558 हैक्टेयर व मौजा सालूजी का तला पटवार मण्डल बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 918, 920 रकबा क्रमशः 0.0405, 15.2416 हैक्टेयर तथा मौजा धारासर का तला पटवार मण्डल बायतु भीमजी के खेत खसरा नम्बर 817, 905/762, 906/762 रकबा क्रमशः 1.2135, 5.9462, 0.6148 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ वादीगण प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 15/07/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:04:34 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण

1. पूराराम पुत्र भीखाराम
2. भैराराम पुत्र भीखाराम
3. मेहराराम पुत्र भीखाराम
4. डाउराम पुत्र भीखाराम

जातियान्–जाट,
निवासीयान्–लाधानियों की ढाणी,
बायतु पनजी, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भीखाराम पुत्र फुसाराम
जाति–जाट, निवासी– लाधानियों की ढाणी, बायतु पनजी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर तहसीलदार, बायतु
2. तहसीलदार, बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–111/2020.

निर्णय दिनांक :– 15/07/2020

वादी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लाधाणियों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 648 रकबा 19.7558 हैक्टेयर व मौजा सालूजी का तला पटवार मण्डल बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 918, 920 रकबा क्रमशः 0.0405, 15.2416 हैक्टेयर तथा मौजा धारासर का तला पटवार मण्डल बायतु भीमजी के खेत खसरा नम्बर 817, 905/762, 906/762 रकबा क्रमशः 1.2135, 5.9462, 0.6148 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ वादीगण प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (SDM) बायतु
(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:04:34 IST
Reason: SelfAttested